

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

शासन सचिवालय, जयपुर

एफ 61(235)SSAAT / Budget / 2024 / 4587

दिनांक 27/09/2024

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त राजस्थान

विषय:-सामाजिक अंकेक्षण के प्रकरणों में वसूल की गयी राशि को जमा कराने के संदर्भ में।
संदर्भ:-भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.01.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बतलाया गया है कि मनरेगा एक्ट,2005 के अन्तर्गत जारी Annual Master Circular 2022-23 के बिन्दु संख्या 10.1.9 (iii)(d) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण के प्रकरणों में वसूली की गयी राशि को State Employment Guarantee Fund Account के तहत जमा कराया जायेगा।

अतः आप सभी से निवेदन है कि Annual Master Circular के प्रावधानानुसार सामाजिक अंकेक्षण के प्रकरणों में वसूल की गयी राशि को State Employment Guarantee Fund Account में जमा करवाने का श्रम करें तथा जमा की गयी राशि की सूचना से सोसायटी के कार्यालय को अवगत करावें।

एफ 61(235)SSAAT / Budget / 2024 / 4588-91

(संदीप चौहान)
निदेशक, (SSAAT)

दिनांक 27/09/2024

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
2. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा को UO Note क्रमांक 3222 दिनांक 2.9.2024 के क्रम में।
3. PO Accounts एवं समस्त नॉडल अधिकारी
4. समस्त कार्मिक, SSAAT को सूचनार्थ

Signature valid

Digitally signed by Sandeep
Chauhan
Designation : Director (SSAAT)
Date: 2024.09.27 13:12:35 IST
Reason: Approved

